



2026:AHC:20846

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 1282 सन् 2026

ध्रुव कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: अनिल कुमार, राजेश यादव

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री अमिल कुमार और राज्य- उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्तमान में याचिकाकर्ता कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, यद्यपि, कुछ राशि वसूल की गई है और उसे समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार वेतन और वेतनवृद्धि का भुगतान नहीं किया गया है।
3. इस याचिका में उत्तरदाताओं को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय उत्तरदाता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी द्वारा अधिनिर्णयन किया जाना चाहिए।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. दोनों पक्षकारों के तर्कों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वितीय उत्तरदाता के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, द्वितीय उत्तरदाता इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करेगा। यदि द्वितीय उत्तरदाता का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह कहना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय उत्तरदाताओं से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"